रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2015/कार्तिक 25, 1937
No. 701] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2015/ KARTIKA 25, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई,16 नवम्बर, 2015

सं. फेमा. 355/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 858(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन:-

ए. विनियम 2 में संशोधन

(i) मौजूदा उप-विनियम (ii एफ़) के बाद निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ii जी) 'निवेश संस्था' का अभिप्राय ऐसी एंटीटी से है जो सेबी अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के तहत पंजीकृत और विनियमित है और सेबी (REITs) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), सेबी (InvIts) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और सेबी (AIFS) विनियमावली, 2012 द्वारा प्रशासित अल्टरनेटिव निवेश निधियाँ इसमें शामिल हैं। "

(ii) मौजूदा उप विनियम (xi) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

" (xi ए) 'यूनिट' का अभिप्राय निवेश संस्था में निवेशक के लाभार्थी हित हैं और उसमें शेयर अथवा भागीदारी हित शामिल होंगे। "

बी. विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 5 में मौजूदा उप विनियम (9) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(10) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक है, उनमें पंजीकृत/निगमित किसी अन्य संस्था को छोडकर) अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत दी गई रीति से निवेश संस्था में निवेश कर सकता/सकती है। "

सी. विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 9 में, निम्नलिखित शब्दों,

"शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट" और "किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट",

जहां कहीं दिखाई देते हैं, उन्हें

"भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट अथवा निवेश संस्था की यूनिटें" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बशर्ते "भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट अथवा निवेश संस्था की यूनिटें" शब्द विनियम 9(1) में दिये गए क्वालिफ़िकेशन क्लॉज़, जो "आगे" (further) से शुरू होता है और "लॉक-इन अवधि की आवश्यकता के अधीन" शब्दों से समाप्त होता है, को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे।"

डी. विनियम 12 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 12 में मौजूदा उप विनियम (v) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) कोई व्यक्ति जो कि अनिवासी है और इन विनियमों के तहत निवेश संस्था के यूनिट धारण करता है, वह अनिवासियों के लिए उपलब्ध ऋण सुविधाएं प्राप्त करने हेतु ऐसी यूनिटों को गिरवी रख सकता है।"

ई. नयी अनुसूची का समावेश

मौजूदा अनुसूची 10 के बाद निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी

अनुसूची 11

[विनियम 5 (10) देखें]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निवेश संस्था में निवेश

1. अनिवासी भारतीय (NRI) और आर.एफ़.पी.आई (RFPI) सहित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निवेश संस्था की यूनिटों में निवेश कर सकता है।

2. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति अथवा पंजीकृत / निगमित संस्था द्वारा निवेश संस्था के अर्जित यूनिटों के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत किए गए आवक विप्रेषण जिसमें NRE अथवा FCNR खाते को नामे करना शामिल है, द्वारा किए जाएंगे।

3. इस अनुसूची के अनुसार भारत से बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई यूनिटें सेबी द्वारा निर्मित विनियमों अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बेची अथवा अंतरित अथवा प्रतिदान (redeem) की जा सकेंगी ।

4. मूल विनियमावली के विनियम 14 में परिभाषित रूप में यदि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर भारतीय 'स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित' न हो, तो ऐसी निवेश संस्था द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश को विदेशी निवेश माना जाएगा।

बशर्ते कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर जो कंपनी से भिन्न रूप में संगठित हों, के संबंध में सेबी द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर विदेशी स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है।

स्पष्टीकरण 1 : मौजूदा विदेशी निवेश नीति में स्वाधिकरण और नियंत्रण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) एक समूहित निवेश संस्था है। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) का 'नियंत्रण' अन्य सामान्यजनों को छोड़कर 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' के हाथ में होना चाहिए। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) के 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' यदि व्यक्ति हैं, तो ऐसे मामलों में इन अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निवेशों को घरेलू निवेश मानने के लिए उसके 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' निवासी भारतीय होने चाहिए। मौजूदा विदेशी निवेश नीति में सीमित देयता भागीदारी (LLP) के स्वाधिकरण और नियंत्रण को तय नहीं किया गया है, अतः सीमित देयता भागीदारी (LLP) 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण 2 : यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेश संस्था की आधारभूत निधियों (investment in the corpus) में विदेशी निवेश की सीमा यह निर्धारित करने का कारक नहीं होगी कि संबंधित निवेश संस्था द्वारा किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश विदेशी निवेश है अथवा नहीं।

5. किसी निवेश संस्था द्वारा किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश जिसकी गणना विदेशी निवेश के रूप में की जाती है, वह डाउनस्ट्रीम निवेश जिस कंपनी में किया जाता है, उसके संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अथवा मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के उपबंधों के अनुसार यथा लागू सेक्टोरल कैप और शर्तों/प्रतिबंधों, यदि कोई, हों के अनुरूप होना ही चाहिए।

6. किसी निवेश संस्था द्वारा किसी सीमित देयता भागीदारी (LLP) में किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश जिसकी गणना विदेशी निवेश के रूप में की जाती है, उसे सीमित देयता भागीदारी (LLP) में विदेशी निवेश से संबंधित मूल विनियमावली की अनुसूची 9 में दिए गए उपबंधों के अनुरूप होना चाहिए।

7. अल्टरनेटिव निवेश निधियां श्रेणी III केवल उन प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें मूल विनियमावली के अनुसार कोई पंजीकृत पोर्टफोलियो निवेशक निवेश कर सकता है।

8. विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली निवेश संस्था से अपेक्षित होगा कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में ऐसी रिपोर्टें, समय-समय पर प्रस्तुत करें जैसी कि उनके द्वारा अपेक्षा की जाती है।

[फा. सं. 1/ईएम/2015]

ए. के. पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी:—मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को सा.का.नि. सं. 406 (अ) भाग-II, खंड **3**, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003

सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003

सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003

सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004

सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004

सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004

सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004

सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005

सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005

सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005

सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005

सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006

सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006

सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007

सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008

सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008

सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009

सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010

सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012

सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012

सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012

सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012

सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012

सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012

सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012

सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013

सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013

सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013

सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013

सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013

सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013

सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013

सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013

सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013

सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013

सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013

सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013

सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013

सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013

सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013

सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014

सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014

सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014

सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014

सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014

सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014

सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014

सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014

सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014

सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014

सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014

सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014

सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014

सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014

सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014

सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014

सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014

सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015

सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015

सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015

सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015

सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015

सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th November, 2015

No. FEMA. 355/ 2015-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 858(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulations:—

A. Amendment to Regulation 2

(i) After the existing sub-regulation (ii f) the following shall be added namely:—

"*(ii g) 'Investment Vehicle' shall mean an entity registered and regulated under relevant regulations framed by SEBI or any other authority designated for the purpose and shall include Real Estate Investment Trusts (REITs) governed by the SEBI (REITs) Regulations, 2014, Infrastructure Investment Trusts (InvIts) governed by the SEBI (InvIts) Regulations, 2014 and Alternative Investment Funds (AIFs) governed by the SEBI (AIFs) Regulations, 2012*."

(ii) After the existing sub-regulation (xi), the following shall be added namely:—

"*(xi A) 'Unit' shall mean beneficial interest of an investor in the Investment Vehicle and shall include shares or partnership interests*."

B. Amendment to Regulation 5

In the principal Regulations, in Regulation 5, after the existing sub-regulation (9), the following shall be added, namely:—

"*(10) A person resident outside India (other than an individual who is citizen of or any other entity which is registered/incorporated in Pakistan or Bangladesh), including an Registered Foreign Portfolio Investor (RFPI) or a non-resident Indian (NRI) may acquire, purchase, hold, sell or transfer units of an Investment Vehicle, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 11*."

C. Amendment to Regulation 9

In the principal Regulations, in Regulation 9, for the words,

"shares or convertible debentures or warrants," and "shares or convertible debentures or warrants of an Indian company", wherever they appear,

the words, "***shares or convertible debentures or warrants of an Indian company or units of an Investment Vehicle***" shall be substituted.

Provided that the words "shares or convertible debentures or warrants of an Indian company or units of an Investment Vehicle" shall not be substituted in the qualification clause of Regulation 9(1) beginning with "*Further*" and ending with "*subject to lock-in period requirement***".**

D. Amendment to Regulation 12

In the principal Regulations, in Regulation 12, after the existing sub-regulation (v), the following shall be added, namely:

"(vi) Any person who is a non-resident and holds units of an Investment Vehicle in accordance with these Regulations, may pledge such units to secure credit facilities being extended to the non-resident investor."

E. Addition of a new Schedule

After the existing Schedule 10, the following shall be added

SCHEDULE 11

[See Regulation 5(10)]

Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle

1. A person resident outside India including an RFPI and an NRI may invest in units of Investment Vehicles subject to the conditions laid down in this Schedule.

2. The payment for the units of an Investment Vehicle acquired by a person resident or registered / incorporated outside India shall be made by an inward remittance through the normal banking channel including by debit to an NRE or an FCNR account.

3. A person resident outside India who has acquired or purchased units in accordance with this Schedule may sell or transfer in any manner or redeem the units as per regulations framed by SEBI or directions issued by RBI.

4. Downstream investment by an Investment Vehicle shall be regarded as foreign investment if neither the Sponsor nor the Manager nor the Investment Manager is Indian 'owned and controlled' as defined in Regulation 14 of the principal Regulations.

Provided that for sponsors or managers or investment managers organized in a form other than companies, SEBI shall determine whether the sponsor or manager or investment manager is foreign owned and controlled.

Explanation 1: Ownership and control is clearly determined as per the extant FDI policy. AIF is a pooled investment vehicle. 'Control' of the AIF should be in the hands of 'sponsors' and 'mangers/investment

managers', with the general exclusion of others. In case the 'sponsors' and 'managers/investment managers' of the AIF are individuals, for the treatment of downstream investment by such AIF as domestic, 'sponsors' and 'managers/investment managers' should be resident Indian citizens. As ownership and control cannot be determined in LLP under the extant FDI policy, a LLP shall not act as sponsor or manager/investment manager.

***Explanation 2*:** The extent of foreign investment in the corpus of the Investment Vehicle will not be a factor to determine as to whether downstream investment of the Investment Vehicle concerned is foreign investment or not.

5. Downstream investment by an Investment Vehicle that is reckoned as foreign investment shall have to conform to the sectoral caps and conditions / restrictions, if any, as applicable to the company in which the downstream investment is made as per the FDI Policy or Schedule 1 of the principal Regulations.

6. Downstream investment in an LLP by an Investment Vehicle that is reckoned as foreign investment has to conform to the provisions of Schedule 9 of the principal Regulations as well as the extant FDI policy for foreign investment in LLPs.

7. An Alternative Investment Fund Category III with foreign investment shall make portfolio investment in only those securities or instruments in which a Registered Foreign Portfolio Investor is allowed to invest under the principal Regulations.

8. The Investment Vehicle receiving foreign investment shall be required to make such report and in such format to Reserve Bank of India or to SEBI as may be prescribed by them from time to time.

[F. No. 1/EM/2015]

A. K. PANDEY, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012

G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R. No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R. No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R. No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R. No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R. No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R. No. 759 (E) dated 06.10.2015

अधिसूचना

मुंबई, 16 नवम्बर, 2015

सं. फेमा. 345/2015–आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा. का. नि.859(अ).— भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के परामर्श से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात **:—**

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:—

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन :—

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (बी) में, मौजूदा स्पष्टीकरण (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(i) इस विनियम के प्रयोजन के लिए “रियल इस्टेट बिज़नेस” (real estate business) में टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) शामिल नहीं होंगे।”

[फा. सं. 1/ईएम/2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण :

मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सा.का.नि.384(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 207(अ) 23 मार्च, 2004

सा.का.नि. सं. 14(अ) 5 जनवरी, 2008

सा.का.नि. सं. 551(अ) 14 अगस्त, 2013

सा.का.नि. सं. 488(अ) 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. सं. 283(अ) 13 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. सं. 425(अ) 26 मई, 2015

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th November, 2015

No. FEMA. 345/2015-RB

Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Fourth Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 859(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes, in consultation with the Central Government, the following amendments in the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.1/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Fourth Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulation:-

In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 1/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 4, in sub-regulation (b), the existing Explanation (i) shall be substituted by the following namely:

“(i) For the purpose of this regulation, “real estate business” shall not include development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges and Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the SEBI (REITs) Regulations 2014”

[F. No. 1/EM/2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 384(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended *vide*:

G.S.R.207 (E) dated March 23, 2004

G.S.R.14 (E) dated January 5, 2008

G.S.R.551 (E) dated August 14, 2013

G.S.R. 488 (E) dated July 11, 2014

G.S.R. 283 (E) dated April 13, 2015

G.S.R. 425 (E) dated May 26, 2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.